राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

दिनांकः– 02.04.2018

क्रमांक :– एफ–7( )रालसा/संस्था/2018/170

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.1(2)साप्र/2/92–II दिनांक 20.07.2012 द्वारा न्यायालयों में पदस्थापित न्यायिक अधिकारियों को राजकीय आवास उपलब्ध नही कराये जाने पर स्वंय के स्तर पर मकान किराये पर लेने पर, मकान किराये की राशि के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया हुआ है :–

1. जयपुर हेतु मूल वेतन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
2. जयपुर के अतिरिक्त अन्य संभागीय मुख्यालयों पर मूल वेतन का 25 प्रतिशत प्रतिमाह
3. संभागीय मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर मूल वेतन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह,

तक अधिकतम पुनर्भरण योग्य राशि निर्धारित की गई है। संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने स्तर से भुगतान किये गये किराये की रसीद प्रस्तुत कर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अधिकतम पुनर्भरण योग्य किराया राशी या वास्तविक भुगतान किये गये किराये राशि जो भी कम हो, का भुगतान संबंधित वेतन मद से किया जाना आदेशित किया गया है।

अतः उक्त आदेश के अनुसरण में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित समस्त पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर एवं जयपुर तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव एवं उप सचिवगण को राजस्थान सेवा नियम के नियम 144–ए में वर्णित निर्णय सं. 5(i) एवं सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 20.07.2012 में निर्धारित दरों के अनुसार किराया राशि पुनर्भरण की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

sd/-
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक :–एफ–7( )राल्सा/संस्था/2017/32-151 दिनांकः 02.04.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
6. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
7. उप सचिव–प्रथम, उप सचिव–द्वितीय, उप सचिव–एक्शन प्लान एण्ड एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
9. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
10. कोषाधिकारी, संबंधित कोष कार्यालय।
11. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
12. उप सचिव प्रशासन (गैर न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, रालसा, जयपुर।
13. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।

2.4.2018
संयुक्त सचिव